अधिकतम :34°C
न्यूनतम : 19°C
तापमान

सेंसेक्स 75,364.69
निफ्टी 22,904.45

सोना 91,455
चांदी 94,000

ख़बरें छुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

बरेली, सोमवार 7 अप्रैल 2025 बरेली संस्करण: वर्ष 22 अंक 132 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00

www.shahtimesnews.com

विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें। मुफ्त पढ़ें E-paper

shahtimes2015@gmail.com चैत्र शुक्ल पक्ष 10 विक्रमी सम्वत् 2082 8 शव्वाल 1446 हिजरी नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित

ट्रम्प और मस्क के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों लोग

विस्तृत खबर देश-विदेश पर

चार महीने बाद मैदान में वापसी कर सकते हैं बुमराह

विस्तृत खबर खेल टाइम्स पर

रामेश्वरम में पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज लोकार्पित

रामेश्वरम, वार्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज (नए पम्बन ब्रिज) का उद्घाटन किया। 2.08 किमी लंबे ब्रिज की नींव नवम्बर 2019 में मोदी ने ही रखी थी। भाषा विवाद के कारण तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन इस कार्यक्रम में नहीं आए। ब्रिज रामेश्वरम (पम्बन द्वीप) को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है।

भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे डबल ट्रैक और हाई-स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। स्टील से बने नए ब्रिज पर पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग की गई है, जो इसे जंग और समुद्र के नमकीन पानी से बचाएगी। पुराना पुल 2022 में जंग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था। इसके बाद से रामेश्वरम और मंडपम के बीच रेल कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। रामायण के अनुसार, रामसेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से शुरू हुआ था। इस वजह से ये आस्था के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में 8300 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत के विभिन्न रेल और - शेष पृष्ठ दो पर

■ पीएम मोदी ने किया नए पम्बन ब्रिज का लोकार्पण पांच मिनट में 22 मीटर ऊपर उठेगा पम्बन ब्रिज

भाषा विवाद के बीच पीएम का तमिलनाडु सरकार पर निशाना

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केंद्र सरकार के बीच नई शिक्षा नीति और भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी रविवार को रामेश्वरम पहुंचे। इस दौरान सीएम स्टालिन उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे। पीएम मोदी ने रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज और अन्य योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास के बाद जनसभा के दौरान भाषा विवाद का जिक्र किए बिना डीएमके नेताओं और सीएम एमके स्टालिन को नसीहत दे दी।

किसान नेता डल्लेवाल ने खत्म की 131 दिनों की भूख हड़ताल

नई दिल्ली। पंजाब के बुजुर्ग किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 131 दिनों से चली आ रही अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल रविवार को खत्म कर दी। उन्होंने पिछले साल 26 नवम्बर को आंदोलनकारी किसानों की अलग -अलग मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। इन मांगों में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी भी शामिल है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की ओर से उनसे आमरण अनशन खत्म करने की अपील किए जाने एक दिन बाद जगजीत सिंह ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। डल्लेवाल ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद में आयोजित 'किसान महापंचायत' के दौरान ऐलान किया कि वे अपनीअनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म कर रहे हैं किसानों की सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि आप सभी ने (मुझसे) आमरण अनशन खत्म करने के लिए कहा था। मेरे लिए 'संगत' (लोग) 'रब्ब दा रूप' (भगवान का एक रूप) है।

■ एक मजबूत मोर्चा बनाने की बात करते हुए डल्लेवाल ने कहा मांगों के समर्थन में आंदोलन जारी रहेगा

न्यायमूर्ति पल्ली को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। शीर्ष अदालत यह जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार, उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 4 अप्रैल, 2025 को हुई अपनी बैठक में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।

मनोज चरण बने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के 8वें बिशप

अमृतसर। राइट रेव मनोज चरण को, रविवार को क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल, राम बाग में आयोजित एक भव्य प्रार्थना सभा के दौरान डायोसिस ऑफ अमृतसर, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के आठवें बिशप के रूप में स्थापित किया गया। बिशप चरण, जो कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के प्रतिष्ठित नेता हैं, ने टीमवर्क, आध्यात्मिक विकास और अंतरधार्मिक संवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। 'धर्मांतरण नहीं, बल्कि वार्तालाप' का नारा बुलंद करते हुए उन्होंने डायोसिस के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जो समाज में शांति, धार्मिक सद्भाव और भाईचारा स्थापित करने पर केंद्रित है।

भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ न लगाने की अपील

लोंगवा। नागालैंड के मोन जिले के एक नगा जनजातीय मुखिया ने केंद्र सरकार से भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ (फेंसिंग) लगाने और 'फ्री मूवमेंट रीजीम' (एफएमआर) क्षेत्र को कम करने के फैसले को तुरंत रद्द करने की अपील की है। टोन्एई फावांग, जो कि अंग (राजा) के 10वीं पीढ़ी के मुखिया हैं, ने कहा कि मोन जिले के दोनों ओर रहने वाले लोग कोन्याक नगा जनजाति से हैं और वे आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं।

सीजेआई खन्ना ने तिरुमाला मंदिर में की पूजा-अर्चना

तिरुमाला। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने रविवार को तिरुमाला मंदिर की अपनी पहली यात्रा के दौरान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा-अर्चना की। टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव और अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने महाद्वारम में मुख्य न्यायाधीश का स्वागत किया। मंदिर के पुजारियों ने वेद मंत्रों के उच्चारण के बीच उनका पारंपरिक स्वागत किया और उन्हें मंदिर ले गए। दर्शन के बाद मुख्य न्यायाधीश को रंगनायकुला मंडपम में शेष वस्त्रम और तत्पश्चात वेदसर्वचनम भेंट किया गया।

जमीयत की वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दस्तक

केंद्र को नोटिफिकेशन जारी करने से रोकने को अंतरिम आदेश की मांग

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ जमीयत उलमा- ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर दी है। जमीयत उलमा-ए-हिंद ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

उन्होंने कहा है कि यह कानून भारतीय संविधान पर सीधा हमला है। संविधान न सिर्फ सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, बल्कि पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। यह बिल मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने की साजिश है, जो पूरी तरह संविधान के खिलाफ है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जमीयत उलमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा-ए-हिंद की राज्य इकाइयां भी इस कानून के खिलाफ संबंधित राज्यों के हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करेंगी। मौलाना मदनी ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि जैसे अन्य मामलों में न्याय हुआ, वैसे ही इस संवेदनशील और असंवैधानिक कानून पर भी हमें न्याय मिलेगा। मौलाना मदनी ने तथाकथित सेक्युलर दलों की आलोचना करते हुए कहा कि हमने इस कानून को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास किए, संविधान रक्षा सम्मेलनों का आयोजन किया, ताकि उन लोगों के ज़मीर को जगाया जा सके, जिन्होंने सत्ता के लालच में संविधान की मूल आत्मा को ही भुला दिया, लेकिन अफसोस वही हुआ, जिसका डर था। खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों ने न सिर्फ मुसलमानों के हितों का सौदा किया, बल्कि संविधान को भी अपने पैरों तले कुचल डाला और अपने असली चेहरे को पूरे देश के सामने उजागर कर दिया। मौलाना मदनी ने कहा कि इन नेताओं का व्यवहार सांप्रदायिक ताकतों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन्होंने दोस्त बनकर पीठ में छुरा घोंपा -शेष पृष्ठ दो पर

■ लोकतंत्र और वक्फ की रक्षा के लिए आखिरी खून की बूंद तक कानूनी और लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा: मौलाना अरशद मदनी

■ कहा: जमीयत उलमा-ए-हिंद की राज्य इकाइयां भी इस कानून के खिलाफ संबंधित राज्यों के हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करेंगी

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल बना कानून

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) बिल को शनिवार देर रात मंजूरी दे दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी।

वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं: नड्डा

नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रही हैं, बल्कि सरकार का लक्ष्य बस यह सुनिश्चित करना है कि इसे प्रबंधित करने वाले लोग कानून के दायरे में काम करें और स्थापित नियमों का पालन करें। श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस विश्वास से प्रेरित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था कि एक देश, दो कानूनों और दो संविधानों के तहत काम नहीं कर सकता।

भारत ने न्याय की सर्वोच्चता स्थापित की है: ओम बिरला

नई दिल्ली/ताशकंद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को इस बात पर जोर देते हुए कि भारतीय संसद ने न्याय और कानून के शासन को प्राथमिकता देते हुए कई कदम उठाए हैं, कहा कि 'भारतीय दंड संहिता' के स्थान पर 'भारतीय न्याय संहिता' लागू करके भारत ने न्याय की सर्वोच्चता स्थापित की है। श्री बिरला ने भारत के संविधान की समावेशी और कल्याणकारी प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए उल्लेख किया कि भारतीय संविधान की भावना सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना एवं उन्हें समान अधिकार प्रदान करना है। साथ ही समान अवसर प्रदान करना, तथा समाज के हाशिए पर पड़े और पिछड़े वर्गों को 'प्रगति की मुख्यधारा' में एकीकृत करना भी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आईपीयू की ऐतिहासिक 150वीं सभा में 'सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्यवाही' पर मुख्य भाषण देते हुए श्री बिरला ने कहा कि हाल के वर्षों में, भारतीय संसद ने कई ऐसे कानून पारित किए हैं जो सामाजिक न्याय और सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं तथा समाज के सभी वर्गों को शामिल करने को प्रोत्साहित करते हैं। समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए संसद की चिरस्थायी चिंता का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम-2016', 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम, 2019 और 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023' जैसे विधेयक समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं।

उत्तराखंड की राह पर कर्नाटक: UCC की शुरू हुई वकालत

देश में यूसीसी लागू होना जरूरी

बेंगलुरु, वार्ता

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू होना बहुत जरूरी है। इससे सभी नागरिकों को (खासकर महिलाओं को) बराबरी का हक मिलेगा। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की है कि वे मिलकर ऐसा कानून बनाएं।

यह टिप्पणी जस्टिस हंचाटे संजीव कुमार की सिंगल जज बेंच ने एक पारिवारिक संपत्ति विवाद के मामले में की। यह मामला मुस्लिम महिला शहनाज बेगम की मौत के बाद उनकी संपत्ति के बंटवारे को लेकर था, जिसमें उनके भाई-बहन और पति के बीच विवाद हुआ। कोर्ट ने इस मामले के बहाने मुस्लिम पर्सनल लॉ पर सवाल उठाए और कहा कि ये कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू कानून में बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार है, जबकि मुस्लिम कानून में भाई को मुख्य हिस्सेदार और बहन को कम हिस्सेदार माना जाता है, जिससे बहनों को कम हिस्सा मिलता है। कोर्ट ने कहा कि ये असमानता संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के खिलाफ है। कोर्ट ने बताया कि गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्य पहले ही यूसीसी की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। इस वजह से अब केंद्र और बाकी राज्यों को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले की कॉपी केंद्र और कर्नाटक सरकार के कानून सचिवों को भेजने के निर्देश दिए हैं।

■ हाईकोर्ट बोला: संविधान निर्माता भी इसके हक में थे, कोर्ट ने की राज्य और केंद्र से कानून बनाने की अपील

सौरभ हत्याकांड: मुस्कान जेल में हुई बीमार, कई दिन से हो रही उल्टियां

मेरठ। मेरठ के सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान की शनिवार को तबीयत बिगड़ गई। मुस्कान को जेल में कई उल्टी भी हुई है। मुस्कान में प्रेग्नेंसी के लक्षण दिखाई दिए। इसके बाद जेल प्रशासन ने मुस्कान के मेडिकल चेकअप के लिए डाक्टर को पत्र लिखा है। प्यारे लाल जिला अस्पताल की स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर अब जेल में आकर मुस्कान का गायनिक टेस्ट करेगी। इसके बाद ही क्लियर होगा कि मुस्कान प्रेग्नेंट है या नहीं। बता दें कि 19 मार्च से मुस्कान और साहिल मेरठ जिला जेल में बंद हैं। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। जेल आने के बाद मुस्कान का प्राइमरी मेडिकल टेस्ट किया गया था। तब वो पूरी तरह स्वस्थ थी। इससे पहले, मेरठ के ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में पुलिस ने मुस्कान की मां कविता रस्तोगी और पिता प्रमोद रस्तोगी को थाने बुलाकर उनके बयान दर्ज किए। मुस्कान के मां-बाप ने हत्या के खुलासे वाली बात पुलिस के समक्ष फिर से दोहराई है। बाकी लोगों के बयान भी जल्द कराने की तैयारी है। पुलिस की चार्जशीट भी लगभग तैयार हो गई है। जल्द ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। सौरभ की बेटी पीहू अपनी नानी के पास है।

भीषण गर्मी की चपेट में उत्तर भारत

राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए अगले कुछ दिनों तक हीटवेव को लेकर चेतावनी जारी

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए अगले कुछ दिनों तक हीटवेव (लू) को लेकर चेतावनी जारी की है। खासतौर पर 7 से 9 अप्रैल तक दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है।

मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली में इस समय तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस क बीच है। मौसम विभाग का कहना है कि 7 और 8 अप्रैल को पारा 42 डिग्री तक जा सकता है, जिससे राजधानी में हीटवेव जैसे हालात बन सकते हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान अभी 17 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जो सामान्य के करीब है, लेकिन अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री ज्यादा है। बीते 24 घंटों में पश्चिमी-उत्तर-पश्चिमी दिशा से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आज दो न्यायमूर्ति लेंगे शपथ

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उड़ीसा और दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानांतरित होकर आए न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सीडी सिंह को सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने बताया कि दोनों न्यायमूर्तियों को मुख्य न्यायाधीश कोर्ट में सोमवार की सुबह शपथ दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि दोनों न्यायमूर्तियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सभी अधिवक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। एक सवाल के जवाब में श्री तिवारी ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट से न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तबादले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन लगातार विरोध कर रहा था। एसोसिएशन ने उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बहिष्कार की भी घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सीडी सिंह के साथ शनिवार को इसलिए शपथ नहीं दिलाई गई कि एसोसिएशन पूरे शपथ समारोह का ही बहिष्कार कर देती।

सम्भल में रामनवमी पर 46 वर्ष बाद मंदिर में पूजन

शाह टाइम्स ब्यूरो

सम्भल। सम्भल में रामनवमी पर जहां एक तरफ खग्गू सराय स्थित मंदिर पर 46 वर्ष बाद पहली बार पूजा-अर्चना की गई है। वहीं दूसरी ओर जामा मस्जिद के सामने निर्माण हुई सत्यव्रत पुलिस चौकी का लोकार्पण। डीएम और एसपी ने पूजन कर लोकार्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मालूम हो 24 नवम्बर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल के बाद मस्जिद के पास सत्यव्रत चौकी का निर्णय किया गया था। यह जिले की पहली हाइटेक पुलिस चौकी है। जहां थाने के बराबर ही स्टाफ की तैनाती भी की जाएगी। अतिरिक्त फोर्स भी रहेगी। इस पुलिस चौकी को सुरक्षा बढ़ाने के लिहाज से तैयार कराया गया है। दो मंजिला इस इमारत में कई कक्ष बनाए गए हैं। जिससे पर्याप्त फोर्स के ठहरने की व्यवस्था भी रहे। भवन को सुसज्जित और हाईटेक बनाया जा रहा है। जिले का कंट्रोल रूम भी इसी चौकी में बनेगा। पुलिस चौकी में महाभारत के रथ की आकृति मुख्य गेट के सामने तैयार कराई गई है। यह आकृति राजस्थानी पत्थर से तैयार हुई है और राजस्थान के कारीगरों ने इसको संवारा है। इस आकृति में गीता के चौथे अध्याय से लिया गया भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध श्लोक भी लिखा गया है।

■ जामा मस्जिद के सामने बनाई गई सत्यव्रत चौकी का किया गया लोकार्पण, अतिरिक्त फोर्स भी रहेगी

सूर्य की किरणों से रामलला को तिलक, अभिषेक कराया अयोध्या में धूमधाम से मना रामलला विराजमान का जन्मोत्सव

अयोध्या। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान रामलला का जन्मोत्सव आज धूमधाम से मनाया गया। भए प्रकट कृपाला, दीनदयाला कौशल्या हितकारी। हरषित महतारी, मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी।। की चौपाई के साथ भव्य और दिव्य राम मंदिर में श्रीरामलला का प्रतीकात्मक रूप से जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ठीक बारह बजे दोपहर रामलला को दूध से स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाकर जन्मोत्सव मनाया गया। रामलला के वैज्ञानिकों द्वारा भगवान सूर्य की किरणों से तिलक, अभिषेक कराया गया। प्रतीकात्मक रूप से भगवान श्रीराम ने जन्म लिया। भगवान सूर्य ने रामलला के ललाट पर तिलक किया। यह लगभग चार मिनट तक तिलक किया गया। रामलला के जन्म पर अयोध्या के मंदिरों में बधाई व सोहर गीत शुरू हो गए।जगह-जगह पटाखे दगने लगे। घंटे, घडियालों व शंख की करतल ध्वनि के बीच श्रीरामलला प्रकट हुए।

गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने मनाया श्रीराम जन्मोत्सव

गोरखपुर। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दोपहर में श्रीरामनवमी के महापर्व पर विधि विधान से भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाया। इस अवसर पर मंदिर परिसर प्रभु श्रीराम के भजनों से गुंजायमान रहा।

चैत्र वासंतिक नवरात्र की नवमी तिथि पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन का अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद मुख्यमंत्री मंदिर परिसर स्थित रामदरबार पहुंचे। यहां प्रतिष्ठित विग्रहों का पूजन किया और आरती उतारी। इसके बाद वह मंदिर परिसर के ओपन एयर थिएटर के मंच पहुंचे। यहां दोपहर के बारह बजते ही उन्होंने पालने में विराजमान प्रभु श्रीराम के बाल स्वरूप के विग्रह की वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की। प्रभु विग्रह को तिलक लगाने और माल्यार्पण करने के बाद आरती उतारी। पूजन का अनुष्ठान पूर्ण करने के साथ सीएम योगी ने बाल स्वरूप भगवान को पालने में झुलाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीराम से लोकमंगल की प्रार्थना की। रामोत्सव के कार्यक्रम में काशी से पधारे जगद्गुरु स्वामी संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा व अनेक भक्त उपस्थित रहे।

कार्यालय ग्राम पंचायत जौलपुर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत जौलपुर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री जयप्रकाश ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत जौलपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री कमल सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत जौलपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत सिकरौल विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सिकरौल विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती बृहमवती ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत सिकरौल
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री कमल सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत सिकरौल
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत वहपुरी विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत वहपुरी विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती शाईस्ता ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत वहपुरी
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री कमल सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत वहपुरी
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मडैयान कली वि.खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मडैयान कली विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री अजय कुमार ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत मडैयान कली
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री कमल सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत मडैयान कली
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत रायपुर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रायपुर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती सुगरा ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत रायपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री कमल सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत रायपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत अलीनगर जनूबी वि. ख.चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अलीनगर जनूबी विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती गुलेरूकसार ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत अलीनगर जनूबी
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री कमल सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत अलीनगर जनूबी
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत लदौरी विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत लदौरी विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री बृजेश कुमार ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत लदौरी
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री कमल सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत लदौरी
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मडैयान जौलपुर वि. ख.चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मडैयान जौलपुर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री तेजपाल ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत मडैयान जौलपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री कमल सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत मडैयान जौलपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

सिद्धिदात्री के पूजन से नवरात्रों का समापन

आखिरी नवरात्र पर भक्तों ने कन्याओं को कराया भोजन

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। आखिरी नवरात्र पर माता के भक्तों ने मां दुर्गा के नौवें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की। उन्होंने कन्याओं को भोजन कराया तथा पैर छूकर आशीर्वाद लिया। घरों में पकवान बनाये गये। सुबह से ही देवी मंडपों में भक्तों की भीड़ लगी रही। नगर के अधिकांश मंदिरों में भजन कीर्तन होता रहा।

रविवार को चैत्र नवरात्र का विधि विधान के साथ समापन हो गया। मां दुर्गा के भक्तों ने उनके नौवें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की। भक्तों ने घरों में पकवान बनाये तथा कन्याओं को भोजन कराया। उन्हें हलवा पूरी, छोले चावल का भोग लगाया गया। भोजन के बाद पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। आज के दिन कन्याएं ढूंढे से भी हाथ नहीं आ रही थी। एक के बाद दूसरे घर में उनका बुलावा था।

माता के जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल

महिलाएं सुबह के समय उन्हें ढूंढती रहीं। माता के जयकारों की गूंज दूर तक सुनाई दे रही थी। सभी भक्ति के इस पल को संजोये थे। दिन निकलते ही माता के भक्तों स्नान आदि से निपटने के बाद जल चढ़ाने के लिये देवी मंडपों में पहुंचने शुरू हो गये थे। आखिरी नवरात्र पर उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। उन्होंने मां सिद्धिदात्री से परिवार की सुख समृद्धि एवं खुशहाली का आशीर्वाद लिया। मंदिरों में माता के भजन गाये गये। महिला भक्तों ने देवी मंडपों में पूरी उत्साह के साथ भजन कीर्तन किया। सारा दिन यह सिलसिला चलता रहा। भक्तों में मान्यता है कि जो भी सच्च मन से मां सिद्धिदात्री की मुरादें मांगता है वह पूरी होती है। यहीं कारण है कि श्रद्धालुओं में उनके प्रति अपार श्रद्धा है। हर कोई माता को मनाने में लगा था। सांय के समय माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रजवल्लित कर उनका आशीर्वाद लिया गया। नगर के प्रसिद्ध श्रीवासुदेव तीर्थ पर भक्तों की भीड़ रही।

अमरोहा। नवमीं के मौके पर कन्याओं को भोजन कराते श्रद्धालु।

प्लॉट के नाम पर रिटायर दरोगा से ठगे 24 लाख

लेखपाल समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट

शाह टाइम्स संवाददाता

जोया। प्लॉट के नाम पर रिटायर दरोगा से 24 लाख रूपये ठगने का मामला प्रकाश में आया है। दरोगा की तहरीर पर लेखपाल समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गयी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अमरोहा देहात थाना क्षेत्र की सुबोधनगर कॉलोनी में सेवानिवृत्त दरोगा कुंवरपाल सिंह का परिवार रहता है। एफआईआर के मुताबिक डिडौली के गांव हरियाना निवासी लेखपाल जौहर अली से उनकी अच्छी जान पहचान थी। जौहर अली ने उन्हें अपने रिश्तेदारों का प्लॉट दिलाने की बात कही, कुंवरपाल उनके साथ कस्बा डिडौली पहुंचे तथा प्लॉट देख कर सौदा कर लिया। प्लॉट गांव मूंढ़ा इम्मा निवासी नजमा के नाम था। 30 लाख रुपये में सौदा तय हो गया। सौदे के वक्त महताब व मोहम्मद उमर निवासी गांव नीलीखेड़ी भी साथ थे। चारों लोगों ने 28 जुलाई 2023 को बैनामा कराने का वादा किया। 24 जुलाई 2023 को नजमा, महताब व मोहम्मद उमर के खाते में 24 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।। बाकी 8 लाख रुपये बैनामे के वक्त देने की बात तय हुई। चारों ने प्लॉट का बैनामा भी करा दिया लेकिन बाद में पता चला कि जो प्लॉट दिखाया गया था वह गणेश सिंह का है। राजस्व रिकार्ड के मुताबिक प्लॉट आबादी में है और वहां मकान भी बने हुए हैं। यानि वहां कोई खाली प्लॉट ही नहीं है। धोखाधड़ी का पता चलने पर पीड़ित ने अपने पैसे मांगे तो आरो. पियों ने लौटाने से इन्कार कर दिया, जान से मारने की धमकी दी। पीडित ने डिडौली कोतवाली में तहरीर दी लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस आनाकानी करती रही। लिहाजा, परेशान होकर अदालत की शरण ली। प्रभारी निरीक्षक हरीश वर्धन सिंह ने मामले में लेखपाल जौहर अली, नजमा, महताब व मोहम्मद उमर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही। बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

पति ने की थी पति की गला दबाकर हत्या

शाह टाइम्स संवाददाता,

गजरौला। नगर के मोहल्ला सुल्ताननगर में फांसी के फंदे पर झूलती मिली महिला ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसके ही पति ने दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर उसकी गला घोंटकर हत्या की और फिर शव को फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करके चालान किया और कोर्ट में पेश किया। बता दें कि 03 अप्रैल को नगर के चौपला चौकी क्षेत्र के मोहल्ला सुल्ताननगर में कविता (28) पत्नी अमित कुमार दोपहर के समय अपने कमरे में फांसी के फंदे पर झूलती मिली थी। अमित कुमार बुलंदशहर जनपद में एक कंपनी में काम करता था और घटनावाले दिन ही घर पर आया था। उस दिन घटना के समय भी उसके बाजार में जाने की बात सामने आई थी। जब वह बाजार से वापस लौटा था तो उसने ही शव को फंदे से लटका देखकर आसपास के लोगों को सूचित किया था।

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कविता के शव को फंदे से नीचे उतारकर आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिये भेजा था। वहीं पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल में जुटी थी, जांच में सामने आया कि पति ने ही कविता की हत्या करके शव को फंदे पर लटकाया था। पुलिस ने रविवार को कविता के पति अमित कुमार को गिरफ्तार करके चालान कर दिया। वहीं इस मामले में कविता के पिता देवराज पुत्र परमू निवासी ग्राम मन्नीखेड़ा थाना नखासा जनपद सम्भल ने थाने में तहरीर देकर पति

दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर घटना को अंजाम देने का आरोप। सास, ससुर व देवरों पर भी केस दर्ज

अमित कुमार, सास होराम सिंह, सास मुन्नी, देवर ललित कुमार व सुमित पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। तहरीर के अनुसार आरोप है कि कविता की शादी सात वर्ष पूर्व हुई थी। शादी में दिए गए उपहार से पति व ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे और कार की मांग करते थे कुछ समय पूर्व कविता ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद छोछक में फिर से अमित आदि कार की मांग करने लगा, जब कविता ने मना किया तो कविता को फांसी के फंदे पर लटकाकर हत्या कर दी। पुलिस ने पति अमित कुमार समेत सास मुन्नी, ससुर होराम व दो देवरों ललित कुमार व सुमित कुमार के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

चोरों ने खेत से पम्पिंग सैट चुराया

शाह टाइम्स संवाददाता

हसनपुर। कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गये हैं कि वह बेखौफ होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र के गांव बाईखेड़ा मिलक निवासी छोटेलाल पुत्र परम सिंह का पंपिंग सेट जंगल में खेत पर लगा हुआ है। बीती रात अज्ञात चोर पंपिंग सेट के पहिया एवं पंखा चोरी कर ले गए। सुबह होने पर जब पीड़ित खेत पर पहुंचा तो पंपिंग सेट का सामान चोरी देख उसके होश उड़ गये। घटना की सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पीड़ित के द्वारा घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई है।

अवैध शराब तस्करी में दो लोगों को एक साल की सजा

शाह टाइम्स ब्यूरो अमरोहा। अवैध शराब की तस्करी से जुड़े मामले में कोर्ट ने दो लोगों को एक-एक साल कैद की सजा सुनाई। दोषियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में दोनों दोषी जमानत पर थे। यह मामला रहरा थाना क्षेत्र से जुड़ा था। साल 2021 में थाना पुलिस ने क्षेत्र के गांव श्यामगढ़ी के रहने पंकज और गांव रहरा के रहने वाले बब्लू को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों क्षेत्र में शराब की तस्करी करते थे। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों का चालान कर दिया था, फिलहाल पंकज और बब्लू इस मामले में जमानत पर थे। केस की सुनवाई कोर्ट में विचाराधीन थी। शनिवार को कोर्ट में केस की अंतिम सुनवाई हुई। पत्रावली व साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अभियोजन व आरोपी पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने पंकज और बब्लू को दोषी करार दिया। दोनों को एक-एक साल जेल की सजा सुनाई तथा 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

दुबई का टिकट व वीजा कराकर तीन लाख हड़पे

दो आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। ट्रैवल एजेंट से दुबई जाने का टिकट करा लिया। बाद में वीजा भी मंगवा लिया। दोनों कामों में करीब तीन लाख रुपये का खर्चा ट्रेवल एजेंट ने उठाया। पीड़ित ने पैसे मांगे तो टिकट कराने वाले आरोपी युवकों ने तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र में कस्बा जोया से जुड़ा है। रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव हैबतपुर निवासी मोहम्मद माज ट्रैवल एजेंट है। उनकी जान पहचान संभल जिले के असमौली थाना क्षेत्र के गांव दरियापुर निवासी अशोक व विजेंद्र से थी। आरोप है कि 2024 में इन दोनों ने दुबई भेजने की बात की थी। लिहाजा, मोहम्मद माज ने दोनों की फाइल तैयार करा दी, वीजा लगवा कर फ्लाइट का टिकट भी करा दिया। दोनों कामों में करीब तीन लाख रुपये का खर्च आया।पीड़ित मोहम्मद माज ने जब इन दोनों से पैसे मांगे तो उन्होंने आनाकानी शुरू कर दी। तकादा करने पर दोनों बीती 7 जनवरी को दुकान में घुस आए तथा पैसे मांगने पर तमंचा दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा फिर कोर्ट की शरण ली। प्रभारी निरीक्षक हरीश वर्धन सिंह ने मामले में कोर्ट के आदेश पर अशोक व विजेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू करने की बात कही।

श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम का किया तिलक

दूसरे कार्यक्रम में जेईएल व जेबीएफ ने किया लठीरा के वृद्धाश्रम में वस्त्रों का वितरण

शाह टाइम्स संवाददाता,

गजरौला। श्री रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। श्री राम मंदिर में जुबिलेंट के यूनिट हेड विनोद झा ने अपनी पत्नी रंजना झा के संग प्रभु श्री राम एवं माता सीता

जुबिलेंट के यूनिट हेड ने पत्नी संग किया पूजन

का तिलक किया। हवन-यज्ञ के उपरांत कन्याओं को जिमाया गया। रविवार को श्री राम नवमी के पर्व पर गजरौला में भरतिया समूह द्वारा निर्मित श्री राम मंदिर को फूलों से सजाया गया। यहां धार्मिक कार्यक्रमों की शुरूआत आरती से हुई। इसके उपरांत मंदिर परिसर में ही हवन में आहुतियां डालकर विश्व शांति एवं खुशहाली की कामना की गई। पंडित मोहन

मिश्रा एवं पंडित गोविंद पांडेय ने धार्मिक आयोजन संपन्न कराए। इस मौके पर जुबिलेंट में निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित, जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य/ मजिस्ट्रेट अंजु रानी दीक्षित, सुरक्षा एवं प्रशासन विभाग के प्रमुख सतेंद्र चौधरी, बिट्टो चौधरी, रबिंद्र झा,अशोक राय, पीके उपाध्याय, अनूप नौटियाल, एके सिंह, एनके तोमर आदि मौजूद रहे। **लठीरा स्थित वृद्धाश्रम में वस्त्रों का वितरण**

जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड एवं जुबिलेंट भरतिया फाउंडेशन द्वारा वृद्धाश्रम में रहने वाले साढ़े तीन सौ से अधिक महिला-पुरुषों को वस्त्र प्रदान किए गए। रविवार को जुबिलेंट की टीम गजरौला ब्लाक के गंगापार स्थित गांव लठीरा में गुरू विश्राम वृद्धाश्रम शिओस पहुंची। आश्रम के प्रबंधक नावेद खान ने इस सहयोग के लिए जुबिलेंट का आभार व्यक्त किया। वृद्धाश्रम का दौरा भी कराया। वहां आश्रित बुजुर्गों से बात भी करवाई। इस मौके पर वृद्धाश्रम के संचालक डा.जीपी भगत, जुबिलेंट में निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित, जेबीएफ में मेडिकल हेड डा. सुजिंदर फोगाट, सुरक्षा एवं प्रशासन विभाग के प्रमुख सतेंद्र चौधरी, सीएसआर कोर्डिनेटर विशाल गौरव, चंदन प्रसाद, नवनीत ग्रेवाल, जॉनी, राहुल मौजूद रहे।

मोबाइल चोर को पकड़कर जमकर धुना

लोगों ने पुलिसको सौंपा

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। घर में घुसकर मोबाइल चोरी कर भागे युवक को मोहल्ले में घूमते हुए पकड़ लिया। पहले उसकी जमकर पिटाई की और बाद में कोतवाली ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद मोबाइल बरामद करने वाली पुलिस ने आरोपी युवक का चालान कर दिया है।

शहर के मोहल्ला काला कुंआ में शिवकुमार का परिवार रहता है। उनके बेटे गौरीश के मुताबिक तीन अप्रैल की रात घर से बरामदे में रखा मोबाइल चोरी हो गया था। अगले दिन जानकारी करने पर पता चला कि मोबाइल मोहल्ला कुरैशी में रहने वाले जमशेद ने चोरी किया है जो नशेड़ी किस्म का है और घटना वाले दिन उनके घर के आगे घूम रहा था। इसके बाद तलाश में जुटे गौरीश ने कुछ देर बाद अपने दोस्त कपिल की मदद से जमशेद को मोहल्ले में ही घूमते हुए पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से घर से चोरी हुआ मोबाइल मिला। देखते ही देखते मौके पर भीड़ लग गई, लोगों ने जमशेद की जमकर पिटाई की और बाद में कोतवाली ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने मामले में गौरीश की तहरीर पर आरोपी जमशेद के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने की बात कही।

46 साल से जनता की सेवा में समर्पित भाजपा:तंवर

धूमधाम से मनाया पार्टी का स्थापना दिवस

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। सांसद कंवर सिंह तंवर ने कहा कि भाजपा का गठन आज से 46 साल पहले जनता की सेवा के लिये किया गया था। आज पार्टी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रही है।

जोया रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर भाजपा का 46वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले पार्टी कार्यकताओं ने पार्टी का झंडा फहराया तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। मुख्य अतिथि सांसद कंवर सिंह तंवर ने कहा कि भाजपा का मकसद जनता की सेवा करना है। यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तथा देश को सर्वोपरि मानते हुए काम करती है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पूरी तरह से पार्टी की नीतियों का प्रचार करते रहे। जिलाध्यक्ष उदय गिरी गोस्वामी ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घरों में पार्टी का झंडा लगाये तथा नीतियों का प्रचार करते रहे। पार्टी की मजबूती का काम प्रत्येक कार्यकर्ता का है। इस मौके पर चैयरमैन शशि जैन, गिरीश त्यागी, ऋषिपाल नागर, ममता गुर्जर भगवत चौहान, अजय चौहान, रमेश कलाल, पूरन सिंह सैनी, मुकेश सक्सैना, मनोज वर्मा, अतुल चौधरी, माया गुप्ता, पिंकी रानी, रमेश कलाल आदि मौजूद रहे।

पुलिस ने नहीं लगने दिया साप्ताहिक बाजार

शिकायत के आधार पर की कार्रवाई

शाह टाइम्स ब्यूरो

हसनपुर। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रविवार के साप्ताहिक बाजार को लगने से रोक दिया। बाजार न लगने से गरीब दुकानदारों में हड़कंप मच गया।

नगर की मस्जिद सम्भलयान से लेकर रेतिया वाली मस्जिद तक रविवार को साप्ताहिक बाजार लगता है। जिसमे गरीब दुकानदार फड़ लगाकर अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं। रविवार को जब दुकानदार अपने फड़ आदि लगा रहे थे तो पुलिस पहुंच गई। दुकानदारों को सड़क पर फड़ लगाने से उन्होंने रोक दिया। जिससे गरीब दुकानदारों के हाथ पैर फूल गये। बताया जा रहा है किसी ने रविवार के साप्ताहिक बाजार को बंद करवाये जाने को लेकर प्रार्थना पत्र उच्च अधिकारियों को भेजा था। जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई हैं। इस मामले में कुछ लोगों का कहना है कि शिकायतकर्ता कोई सामने खुलकर नहीं आया है। कुछ का कहना है कि किसी ने फर्जी शिकायत अधिकारियों से की है।

चाचा को फंसाने को युवक ने घर में लगाई आग

पिता ने बेटे के खिलाफ कराई रिपोर्ट

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। चाचा को झूठे मामले में फंसाने के लिए युवक ने खुद घर में आग लगा दी। बाद में परिजनों पर झूठी गवाही देने के लिए दबाव बनाया। इनकार करने पर मारपीट की। अब पिता ने बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

मामला नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव धनौरी मीर का है। यहां रहने वाले शमशाद अहमद का आरोप है कि उसका बेटा मोहम्मद अनस सगे चाचा इरशाद से रंजिश रखता है। आए दिन झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश में रहता है। तीन अप्रैल को भी अनस ने खुद ही अपने घर में आग लगा ली और आरोप इरशाद पर लगा दिया। जिसके लिए वह अपनी मां, भाई व बहन से झूठी गवाही देने का दबाव बना रहा है। इनकार करने पर मारपीट करता है। शनिवार को भी अनस ने मारपीट की। ग्रामीणों ने वीडियो बना ली। शमशाद ने बेटे के खिलाफ तहरीर दी थी। प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने की बात कही।

सपा नेता का तमंचे के साथ वीडियो वायरल

शाह टाइम्स ब्यूरो

बछरायूं। सपा नेता का तमंचे के साथ वीडियो वायरल होने से हड़कम्प मच गया। पुलिस आरा. ेपी की तलाश में जुट गयी है। रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। जिसमें सपा नेता दोनों हाथों में तमंचे लिये हुए है। वीडियो वायरल होने से हड़कम्प मच गया। बताते चलें कि इस समय तमंचे के साथ वीडियो वायरल करने का ट्रेंड चल रहा है। आये दिन ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। हसनपुर व

मंडी धनौरा क्षेत्र में यह काम तेजी से किया जा रहा है। वीडियो वायरल की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।

साइबर ठगों ने युवक से 27 हजार ठगे

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। साइबर अपराधियों ने युवक के मोबाइल पर फर्जी मैसेज भेजकर धोखे से खाते में 30 हजार रुपये आने की बात कही। झांसे में आए युवक ने साइबर अपराधियों द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड पर 27 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में जालसाजी का पता चलने पर पीड़ित युवक ने मोबाइल नंबर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है।

नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव खंडसाल कलां में किसान अजयपाल सिंह का परिवार रहता है। उनके बेटे गौरव कुमार का बैंक खाता बस्ती स्थित पीएनबी शाखा में है। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह गौरव के मोबाइल पर एक मैसेज आया। जो उसके खाते में 30 हजार रुपये ट्रांसफर होने से संबंधित था। इसी दौरान

मोबाइल नम्बर के आधार पर मुकदमा दर्ज

गौरव के पास अंजान नंबर से काल आई। काल करने वाले ने व्यक्ति ने कहा कि धोखे से आपके खाते में 30 हजार रुपये ट्रांसफर हो गए हैं। लिहाजा वह वापस कर दें, बड़ा एहसान होगा। इसके बाद गौरव के व्हाट्सएप पर क्यूआर कोड भेज कर उस पर पैसे ट्रांसफर करने को कहा। गौरव ने बिना जांच-पड़ताल किए बिना क्यूआर कोड पर 27 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसी दौरान उसे शक हुआ, खाता चेक किया होश उड़ गए। उसके खाते में कोई पैसा नहीं आया था। जबकि वह 27 हजार रुपये अपने खाते से ही ट्रांसफर कर चुका था। साइबर अपराधियों ने बाद में भी कॉल की, बाकी 3 हजार रुपये और ट्रांसफर करने को कहा लेकिन गौरव ने फिर कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया। पीड़ित ने थाने जाकर मोबाइल नंबर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हनुमान जन्मोत्सव की जिम्मेदारी सौंपी

मंडी धनौरा। बालाजी भक्त मंडल सोसायटी के संयोजन में 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी शुरू हो गई हैं। जिसमें 11 को रथयात्रा व 12 अप्रैल को हवन, भंडारे और जागरण का आयोजन होगा। सोमवार को कंचन बाजार स्थित श्री बालाजी धाम में संगठन की बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने कहा कि सभी कार्यकर्ता श्री हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी में जुट जाएं। बैठक में कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौपी गई। इस अवसर पर शिवकुमार वर्मा, राकेश अग्रवाल, हितेश मांग. लिक, बालकिशन वर्मा, सुमित अग्रवाल, भोलेशाह, नरेंद्र अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, विनोद अरोड़ा, प्रियंक शर्मा आदि रहे।

जूता व्यापारी को लूटने का किया प्रयास

शाह टाइम्स संवाददाता

हसनपुर। कलेक्शन करके लौट रहे जूता व्यापारी को लोगों ने घेर लिया। नगर के बाईपास मार्ग स्थित न्यू सैनी कालोनी निवासी पूरन सैनी जूते का व्यापार करता है। उसके द्वारा नगर एवं आसपास के क्षेत्र में व्यापारियों को जूता चप्पल की सप्लाई दी जाती है। शुक्रवार को व्यापारी पूरन सैनी कस्बा सैद नगली से रूपये का कलेक्शन करके घर को वापस आ रहा था। जैसे ही वह नगर के बाईपास मार्ग स्थित कनेटा रोड के निकट पहुंचे तभी अज्ञात लोगों द्वारा उसे रोक लिया गया और थैला छीनने लगे। व्यापारी की चीख पुकार सुनकर कुछ स्थानीय निवासी मौके पर एकत्र हुए और नगर के एक जनप्रतिनिधि का हवाला देते हुए व्यापारी को उन लोगों से छुड़वा दिया। जिससे एक लूट की घटना होते-होते रह गई। पीड़ित व्यापारी पूरन सैनी द्वारा बताया गया उसके थैले में लगभग 60000 रूपय थे। व्यापारी ने बताया कि लगभग 4 वर्ष पूर्व भी उसके आवास पर डकैती पड़ी थी डकैती के दौरान बदमाशों द्वारा उसके भाई को गोली मार दी थी। वही नुकसान न होने के कारण पीड़ित व्यापारी द्वारा कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।

कार्यालय ग्राम पंचायत मडैयान शादी वि. ख. चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मडैयान शादी विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी. डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती शहनाज़ बेगम ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत मडैयान शादी
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री कमल सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत मडैयान शादी
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मडैयान बल्लू वि. खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मडैयान बल्लू विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी. डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती अली फात्मा ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत मडैयान बल्लू
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री कमल सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत मडैयान बल्लू
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत जुठिया विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत जुठिया विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी. डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती आफरीन ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत जुठिया
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री आकिल हुसैन सचिव)
ग्राम पंचायत जुठिया
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत दुर्गनगला विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत दुर्गनगला विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी. डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती रिहाना ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत दुर्गनगला
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री आकिल हुसैन सचिव)
ग्राम पंचायत दुर्गनगला
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत भमरव्वा विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत भमरव्वा विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी. डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती फराहनाज़ ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत भमरव्वा
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री आकिल हुसैन सचिव)
ग्राम पंचायत भमरव्वा
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत बढ़पुरा शर्की विकास ख.चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बढ़पुरा शर्की विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी. डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती तारा ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत बढ़पुरा शर्की
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री आकिल हुसैन सचिव)
ग्राम पंचायत बढ़पुरा शर्की
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत दनियापुर शंकरपुर वि. ख. चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत दनियापुर शंकरपुर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी. डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती निरंजना देवी ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत दनियापुर शंकरपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री दिनेश सिंह राणा सचिव)
ग्राम पंचायत दनिपुर शंकरपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत ककरव्वा विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ककरव्वा विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी. डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती सुरभि ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत ककरव्वा
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री दिनेश सिंह राणा सचिव)
ग्राम पंचायत ककरव्वा
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत नसरतनगर वि. ख. चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नसरतनगर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री हरपाल सिंह ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत नसरतनगर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री दिनेश सिंह राणा सचिव)
ग्राम पंचायत नसरतनगर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत चिकना विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चिकना विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री सकेंत यादव ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत चिकना
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री दिनेश सिंह राणा सचिव)
ग्राम पंचायत चिकना
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत परतापुर हरदासपुर वि.ख. चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत परतापुर हरदासपुर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री रामप्रकाश ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत परतापुर हरदासपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री दिनेश सिंह राणा सचिव)
ग्राम पंचायत परतापुर हरदासपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत हरियाल विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत हरियाल विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती इन्द्रवती ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत हरियाल
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री मो.उमर फारूख सचिव)
ग्राम पंचायत हरियाल
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत लालपुर पट्टी कुन्दन वि. ख. चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत लालपुर पट्टी कुन्दन विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती कमलेश ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत लालपुर पट्टी कुन्दन
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री दिनेश सिंह राणा सचिव)
ग्राम पंचायत लालपुर पट्टी कुन्दन
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत हाजीनगर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत हाजीनगर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती अफरोज जहाँ ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत हाजीनगर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री दिनेश सिंह राणा सचिव)
ग्राम पंचायत हाजीनगर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मुण्डिया खेड़ा विकास ख. चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मुण्डिया खेड़ा विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती सरस्वती ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत मुण्डिया खेड़ा
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री दिनेश सिंह राणा सचिव)
ग्राम पंचायत मुण्डिया खेड़ा
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत फत्तेपुर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत फत्तेपुर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री कमल कुमार ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत फत्तेपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री दिनेश सिंह राणा सचिव)
ग्राम पंचायत फत्तेपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत भण्डपुरा विकास ख. चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत भण्डपुरा विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री मौ.शफी ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत भण्डपुरा
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री मो.उमर फारूख सचिव)
ग्राम पंचायत भण्डपुरा
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मनकरा विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मनकरा विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती सना कासिफ ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत मनकरा
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री मो.उमर फारूख सचिव)
ग्राम पंचायत मनकरा
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत खजुरिया विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खजुरिया विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती ओमवती ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत खजुरिया
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री मो.उमर फारूख सचिव)
ग्राम पंचायत खजुरिया
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत दीनपुर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत दीनपुर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती रीना ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत दीनपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री मो.उमर फारूख सचिव)
ग्राम पंचायत दीनपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत कलरख विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कलरख विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री मोहन लाल ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत कलरख
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री मो.उमर फारूख सचिव)
ग्राम पंचायत कलरख
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत जिठनिया शर्की वि. ख. चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत जिठनिया शर्की विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती प्रेमवती ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत जिठनिया शर्की
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री आकिल हुसैन सचिव)
ग्राम पंचायत जिठनिया शर्की
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत रम्पुरा विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रम्पुरा विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती नसीम जहाँ ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत रम्पुरा
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री आकिल हुसैन सचिव)
ग्राम पंचायत रम्पुरा
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत करीमपुर शर्की वि. ख. चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत करीमपुर शर्की विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती केलावती ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत करीमपुर शर्की
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री आकिल हुसैन सचिव)
ग्राम पंचायत करीमपुर शर्की
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मडैयान उदयराज वि. ख. चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मडैयान उदयराज विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती रामप्यारी ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत मडैयान उदयराज
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री जसपाल सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत मडैयान उदयराज
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत फैजुल्लानगर वि. खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत फैजुल्लानगर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती मुशरफी बेगम ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत फैजुल्लानगर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री जसपाल सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत फैजुल्लानगर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत तुमड़िया विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत तुमड़िया विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती आशा बी ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत तुमड़िया
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री जसपाल सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत तुमड़िया
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत अहमदनगर तराना वि. ख. चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अहमद नगर तराना विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती नाज़मा ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत अहमद नगर तराना
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री मो.उमर फारूख सचिव)
ग्राम पंचायत अहमद नगर तराना
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत कल्याणपुर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कल्याणपुर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री अलकेश ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत कल्यानपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री जसपाल सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत कल्यानपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत पट्टी कल्याणपुर वि. ख. चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पट्टी कल्याणपुर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती शवाना ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत पट्टी कल्यानपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री जसपाल सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत पट्टी कल्यानपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत तालबपुर विकास ख. चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत तालबपुर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री जावेद अली ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत तालबपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री आकिल हुसैन सचिव)
ग्राम पंचायत तालबपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत देवरनिया शर्की वि. ख. चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत देवरनिया शर्की विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री सोमपाल ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत देवरनिया शर्की
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री आकिल हुसैन सचिव)
ग्राम पंचायत देवरनिया शर्की
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

धूमधाम से मनाया गया भाजपा का स्थापना दिवस

पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सहित राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख रहे मौजूद

शाह टाइम्स ब्यूरो

रामपुर। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी नें रविवार को रामपुर में कहा कि साम्प्रदायिक टशन से संवैधानिक मिशन का अपहरण नहीं किया जा सकता।

पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून, धार्मिक आस्था के संरक्षण, प्रशासनिक व्यवस्था के सुधार से भरपूर है।

पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने आज रामपुर में भाजपा स्थापना दिवस पर आयोजित एक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि कुछ निहित स्वार्थी तत्त्वों का ष्साम्प्रदायिक कुंड- साजिशी झुंडष साम्प्रदायिक फसाद में सियासी मफाद ढूंढ रहा है। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने कहा कि संसद का एक्ट था, संसद ने ही करेक्ट किया है। कुछ लोग जमीन के कानून को आसमानी किताब बताकर अपनी असंवैधानिक उदंडता को संवैधानिक प्रतिबद्धता के दायरे में लाने से रोकना चाहते हैं।

पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने कहा कि साम्प्रदायिक सियासत से संवैधानिक सुधार को बंधक नहीं बनाया जा सकता। वक्फ सुधार से न ईमान को खतरा है न इस्लाम को नुकसान है। यह सुधार वर्तमान वक्फ सिस्टम के प्रशासनिक संरक्षण, संवर्धन, सशक्तिकरण की संवैधानिक गारंटी है।

पूर्व केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि वक्फ संशोधन पर बहस के दौरान संसद में तर्कों, तथ्यों की कंगाली से जूझ रहे लोग सड़क पर मवाली जैसे व्यवहार में जुटकर, संवैधानिक सुधार पर सांप्रदायिक वार के जरिए भय-भ्रम के भंवरजाल में डटे हैं।

पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हर संवैधानिक-समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक-सियासी वार की हिस्ट्रीशीटर हुड़दंगी जमात की सोंच, सनक, साजिश समाज के सौहार्द के ताने बाने को तार-तार करने की अपराधिक करतूत से भरपूर है।

पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने विभिन्न आर्थिक, सामा. जिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक सुधार के जरिए समावेशी, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण को सशक्त किया है। सुधार पर स्वार्थी प्रहार की पाखण्डी प्रयोगशाला परास्त हो रही है। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारत में सुशासन और समावेशी सुधार का अमृत काल चल रहा है, जिसने साम्प्रदायिक छल के रिवाज को सुशासन के मिजाज से छूमंतर किया है। इस अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय में हुए कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली राम लोधी, पूर्व राज्य मंत्री शिव बहादुर सक्सेना, भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार, नगर विधायक आकाश सक्सेना, उत्तर प्रदेश पिछला वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल, नगर पालिका अध्यक्ष बिलासपुर चित्रक मित्तल, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य सुनीता सैनी, राकेश मिश्रा, पूर्व विधायक ज्वाला प्रसाद गंगवार, पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर, पूर्व विधायक युसूफ अली, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष मोहनलाल सैनी, हंसराज पप्पू, कपिल आर्य, अर्चना गंगवार, महा सिंह राजपूत, ऋषि पांडे जागेश्वर दयाल दीक्षित, अशोक बिश्नोई, मोहन लोधी, सुभाष भटनागर, डॉली रंधावा, सुभाष गुप्ता, देवेंद्र नागपाल, पंकज लोधी, संजय पाठक दिलीप अरोड़ा, लक्ष्मी सैनी, शकुंतला लोधी आदि उपस्थित रहे।

ख्वाजा अब्दुल अजीज मियां के उर्स पर सरकारी चादर पोशी में उमड़े अकीदतमंद

सालाना 55 वां उर्स भैसोड़ी शरीफ में शुरू

शाह टाइम्स संवाददाता

मिलक/रामपुर। आज मुर्शिद नगर भैसोड़ी शरीफ मे हजरत ख्वाजा सूफी अब्दुल अजीज मियां 55 वां सालाना उर्स शुरू हुआ जिसमें रविवार को सरकारी चादरपोशी के जुलूस में अकीकतमंदो का हुजूम उमड़ पड़ा। तहसील क्षेत्र के ग्राम मुर्शीद नगर भैसोड़ी शरीफ मे आज से शहीद-ए-मिल्लत, अजीजुल औलिया हजरत ख्वाजा सूफी अब्दुल अजीज मियां का 55 वां सालाना उर्स शुरू हुआ। जिसमें सबसे पहले आज दरगाह के सज्जादा नशीन हजरत ख्वाजा सूफी जावेद हुसैन शाह के आस्ताने से सरकारी चादर का जुलूस बाद नामजे असर शुरू हुआ जो गॉव के विभिन्न मार्गो से घूमता हुआ दरगाह शरीफ पर पहुंचा। जुलूस में मौजूद कव्वाल और उलेमा हजरत की शान में नातिया कलाम पेश करते चल रहे थे दरगाह पर पहुंचने के बाद सज्जाद नशीन ने चादर पोशी की चादरपोशी के बाद मौजूद अकीकत मंदो गुलपोशी भी की उसके बाद दुआ हुई। इस मौके पर मुल्क में अमन चौन और खुशहाली के लिए दुआ की गई चादरपोशी के बाद बाद नमाज -ए-ईशा महफिले मिलाद शरीफ का आगाज हुआ जिसमें बाहर से आए उलेमाओ ने अजीजी सिलसिले के बारे में तफसील से बयानात किए। इस मौके पर दरगाह पर महफिले शमा का भी आयोजन हुआ।

जिसमें दूरदराज से आए हुए अकीकतमंदो ने शिरकत की इस मौके पर सज्जाद नशीन हजरत ख्वाजा सूफी जावेद हुसैन शाह सहित हजारों की तादात में मुरीद और अकीदत मंद मैजूद रहे।

कोतवाली में पूजा अर्चना कर हुआ कन्या पूजन व प्रसाद किया गया वितरण

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहबाद/रामपुर। कोतवाली स्थित मंदिर पर श्रीराम नवमी पर पूरे बिधि विधान से हवन पूजन के साथ मनाई गई चौत्र नवरात्रि।

कोतवाली मे पूजा अर्चना हुई महानवमी जिसमें मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है।इस तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था,जिसे राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। रामलला के जन्मोत्सव की खुशी में मन्दिरों व घरों में पूजा अर्चना व कन्या पूजन कर प्रसाद वितरण किया गया।वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज पंत ने भी कोतवाली परिसर में बने मंदिर में वरिष्ठ उप निरीक्षक कुलदीप सिंह तोमर,उप निरीक्षक आदेश कुमार,अमित कुमार व भारी मात्रा मे स्टाफ के साथ मिलकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई।इसके पश्चात कन्यापूजन कर प्रसाद वितरण किया गया।

नवमी पर श्री त्रिपुरेश्वरी शक्ति पीठ पर किया गया हवन,भंडारा ओर कन्या पूजन

(हरमेश भाटिया)
शाह टाइम्स संवाददाता

रामपुर। रविवार को नवमी के दिनश्री त्रिपुरेश्वरी शक्ति पीठ पर नों देवियो का पूजन किया तत्पश्चात हवन किया भजन एवं कीर्तन का आयोजन किया गया उसके बाद कन्या पूजन एवं भंडारे का आयोजन किया। इस मौके पर त्रिपुरेश्वरी शक्ति पीठ की कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. प्रियंका उपाध्याय ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि माँ आयी 9 दिन अपनी सारी ऊर्जा के साथ पूरे विश्व को आर्शीवाद देकर विदा होकर जा रही है फिर दोबारा आने के लिए आपने जिस भाव के साथ नो दिन कन्याओं का पूजन किया। वैसे ही सब नो दिनों बाद सब ये मत भूल जाना भारत की प्रत्येक स्त्री में वही माँ की शक्ति है तो आप प्रत्येक

स्त्री का सम्मान करते हुए उन्हें पूजे उन्होंने कहा में मैं नारी शक्ति युगे युगे के स्लोगन को लेकर चल रही हूँ उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ हमारा भारत अखंड भारत बनें सम्पूर्ण भारत की नारियों का परचम पूरे विश्व मे लहराए। उन्होंने कहा सनातन धर्म पुरातन धर्म है मूल

आधार है भारत की संस्कृति कब सनातन धर्म को धारण करे और पूरे विश्व मे शांति की स्थापना करें। इस मोके पर ममता सोनी, कमल चावला, आरती कटियार, रश्मि शर्मा, सुशील सिंह, संगीता शर्मा, ज्योति शर्मा, नंदनी शर्मा आदि मौजूद रही।

रामनवमी पर कन्याओं को जिमाकर लगाया भोग

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहबाद/रामपुर। नगर व ग्रामीण क्षेत्रो में भक्तों ने राम नवमी पर सिद्धिदात्री देवी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर कन्याओं को खीर पूरी हलवा पूरी से जिमाया ओर कन्याओं को चुनरी उड़ाकर फल दक्षिणा आदि सप्रेम भेंट प्रदान कर उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। भक्तों द्वारा बताया जाता है कि नवरात्रि के नौवें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा-आराधना का होता है। माता सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली कहा गया है। नवरात्रि के नवम दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा जाता है। नवमी तिथि का व्रत कर, माता की पूजा-आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाना इस दिन कल्याणकारी रहता है। यह उपवास व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। नवरात्रि में माता दुर्गा के नौ अलग - अलग रूपों की पूजा की जाती है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता,

कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है ।साथ ही राम नवमी की एक खास बात यह भी है कि इस दिन अयोध्या के राजा दशरथ के घर भगवान श्रीराम का जन्म हुआ था। श्रीराम माता कौशल्या के पुत्र और अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। इस दिन भगवान राम की विशेष रूप से पूजा की जाती है। रामनवमी पर राम भक्त व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और रामलला के जन्म का उत्सव मनाते हैं। भक्तों ने बताया कि राम नवमी मनाने का उद्देश्य भगवान राम के जन्म का जश्न मनाना और उनके आदर्शों को याद करना है. यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। राम नवमी को हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। कन्याओं को भोजन जिमाने के लिए भक्तों ने प्रात: काल से ही अपने अपने घर बुलाकर ले जाकर बड़ी ही भक्ति भाव से उन्हें जिमाया कही कही कन्याओं का मिलना बड़ा ही कठिन पड़ा तथा नवरात्रि पर प्रशासन भी अलर्ट रहा।

रामनवमी पर मिलक में धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई

पालिका अध्यक्ष दीक्षा गंगवार और समाजसेवी सुशील गुप्ता ने सयुंक्त रूप से किया शुभारंभ

शाह टाइम्स संवाददाता

मिलक/रामपुर। नगर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर में हिंदू संगठनों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई।

शोभायात्रा में मनमोहक वैङ आतिशबाजी अखाड़े का प्रदर्शन सुंदर-सुंदर झांकियां के साथ नगर में शोभा यात्रा निकाली गई शोभा यात्रा सरस्वती विद्या मंदिर से प्रारंभ होकर पशु चिकित्सालय स्टेशन रोड नई बस्ती पटवाई रोड तीन बत्ती चौराहा से होते हुए किड्स प्राईड अकैडमी नवदिया चौराहा पर आकर संपन्न हुई। शोभायात्रा विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से निकली गई। इस दौरान मुख्य वक्ता यशपाल क्षेत्र धर्म प्रसार प्रमुख विहिप मेरठ क्षेत्र मुख्य अतिथि पालिकाध्यक्ष दीक्षा गंगवार, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा तथा प्रमुख समाजसेवी सुशील कुमार गुप्ता के द्वारा शोभा यात्रा का नारियल तोङकर शोभायात्रा का शुभारंभ किया गया।

इस अवसर पर विभाग प्रचारक वतन कुमार बालाजी दरबार समिति के महंत अभिषेक मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष अमरनाथ वाल्मीकि, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रिंस गुप्ता, मुख्य वक्ता सोहनलाल सोलंकी, संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष दीक्षा गंगवार, विशिष्ट अतिथि सुशील कुमार गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष संजीव गुप्ता, मुकेश पटेल, अमृत गौड़, विकास रोहिल्ला, राहुल गुप्ता, संस्कार गुप्ता, सौरभ अग्रवाल आदि मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन जगह-जगह मुस्तैद रहा।

पंखा गिरने से बाल-बाल बचे कांग्रेस नेता

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहबाद/रामपुर। बाल-बाल बचे कांग्रेस युवा नेता शाजमान आर्यन शाहाबाद नगर में स्थित बजरंग चौराहे पर पर शाजमान आर्यन की लेडीज शूज की दुकान है। रोजमर्रा की तरह रविवार की सुबह के समय वह अपनी दुकान खोली और बाहर साफ सफाई में लग गए। और देखते ही देखते दुकान की छत पर लगा पंखा अचानक नीचे गिर गया जिससे कांग्रेस नेता शहजमान आर्यन एक बड़ी अनहोनी से बच गए अचानक चलते-चलते ऊपर से गिर गया यह सारी घटना वहां लगे एक सी सी टीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद कांग्रेस नेता ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक कहाबत है जाको राखो साईयां मार सके ना कोई।

शाहबाद मंडी में गेहूं खरीद क्रय केंद्रों का तहसीलदार ने किया निरीक्षण

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहबाद/रामपुर। रविवार को शाहाबाद मंडी में गेहू खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान मंडी सचिव और नायब तहसीलदार शाहाबाद उपस्थित रहे। मंडी में सभी सेंट्रो पर गेहूं क्रय किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मंडी में पानी की व्यवस्था सही पाई गई। मंडी में उपस्थित किसानों से वार्ता की गई किसानों के द्वारा बताया गया कि गेहूं खरीद में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मंडी प्रांगण में लगा हुआ एक आर ओ खराब पाया गया जिसे मंडी सचिव को तत्काल सही कराए जाने के निर्देश दिए गए।

हिन्दी दैनिक शाह टाइम्स समाचार पत्र में समाचार एवं विज्ञापनों के लिए सम्पर्क करें।
इमरान हुसैन
जिला प्रभारी रामपुर
कार्यालय निकट कचहरी के दूसरे गेट के सामने गली में
सम्पर्क सूत्र 9720093014
7906773314

डीएम के निर्देश पर बिलासपुर में चेकिंग अभियान के दौरान अवैध परिवहन में 23 ट्रक सीज

एसडीएम के नेतृत्व में परिवहन और खाद्य विभाग के अधिकारियों ने की कार्यवाही

शाह टाइम्स ब्यूरो

रामपुर। जनपद में अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के विरुद्ध नियमित तौर पर प्रभावी कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह द्वारा जारी मासिक रोस्टर के अनुसार अधिकारी लगातार सक्रिय हैं और अपने निर्धारित चेक पॉइंट पर उपस्थित रहकर चेकिंग की कार्यवाही को प्रभावी बना रहे हैं।

जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के अंतर्गत तहसील बिलासपुर क्षेत्र में एसडीएम अनुराग सिंह द्वारा सीओ बिलासपुर के साथ साथ परिवहन विभाग एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 23 ऐसे ट्रकों को चिन्हित किया गया जिनके द्वारा उत्तराखंड से खनन लोड करके उत्तर प्रदेश की सीमा में बिना वैध परमिट के प्रवेश किया गया था।

इस प्रकार वैध परमिट (आईएसटीपी) की चोरी की पुष्टि होने पर इन सभी ट्रैकों को सीज

करके उनके विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गई है। एसडीएम बिलासपुर अनुराग सिंह ने बताया कि बिलासपुर क्षेत्र में जिलाधिकारी के निर्देश पर रात्रि 8:00 बजे से प्रात: 7:00 बजे तक निर्धारित चेक पॉइंट पर अधिकारियों की मौजूदगी में चेकिंग अभियान को गति प्रदान की जा रही है जिसका उद्देश्य यह है कि अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके साथ ही ओवरलोडिंग और अवैध खनन की गतिविधियों पर भी सख्ती बरती जा सके। देर रात चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान सीज किए गए 23 ट्रैकों के विरुद्ध परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट तथा खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा खनन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत चालान एवं अन्य जरूरी कार्यवाही की गई है। इन ट्रकों में बजरी और रेता का अवैध तरीके से परिवहन किया जा रहा था।

जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में सभी एसडीएम सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारी लगातार सक्रिय है। निर्धारित चेक पॉइंट पर अधिकारियों की उपस्थिति और चेकिंग की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की स्थिति का समय-समय पर जिलाधिकारी द्वारा औचक रूप से पहुंच कर सत्यापन भी किया जा रहा है। मानकों का सख्ती से अनुपालन हो तथा अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग जैसी गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम के साथ ही सुरक्षित परिवहन प्रणाली को लागू कराने की शासन की मंशा को जिलाधिकारी द्वारा जिले में प्रभावी ढंग से लागू कराया जा रहा है।

नगर पंचायत मसवासी में चला आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान

शाह टाइम्स संवाददाता

मसवासी/रामपुर। नगर पंचायत प्रशासन ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया अभियान के तहत सिर्फ दो कुत्तों को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया लेकिन अभी भी कस्बे में आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है। नगर क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है नगर पंचायत प्रशासन रविवार को आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया नगर पंचायत कर्मचारी को सिर्फ दो कुत्ते ही हाथ लग सके टीम को देखकर आवारा कुत्ते भाग जाने में सफल रहे स जाल को देखकर आवारा कुत्ते नगर पंचायत कर्मचारियों की मंशा को भाप गए और कुछ ही क्षणों में नगर पंचायत की टीम की नजरों से आवारा कुत्ते ओझल हो गए। कस्बे में दिनभर नगर पंचायत कर्मचारी आवारा कुत्तों को ढूंढते रहे लेकिन कर्मचारियों को आवारा कुत्ते हाथ नहीं लग सके मात्र दो कुत्तों को ही पड़कर जंगल में छोड़ा गया और अभियान की कार्य पूर्ति की गई।

धूमधाम से मनाई गई सम्राट अशोक की जयंती

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहबाद/रामपुर। क्षेत्र के गांव टांडा में शनिवार को महान सम्राट अशोक की जयंती धूम धाम से मनाई गई। बच्चों ने गीत-संगीत के माध्यम से उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। इनका कार्यकाल ईसा पूर्व 269 से 232 ईसवीं तक रहा। उन्होंने उत्तर में हिदू कुश तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी सुवर्ण गिरी पहाड़ी के दक्षिण में मैसूर तक तथा पूरब में बांग्लादेश पाटलिपुत्र से पश्चिम अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक अपनी सत्ता कायम की थी। सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर सभी ग्राम वासियों ने सभी महापुरुषों के बारे में विचार प्रस्तुत किए गए। करुणा के सागर गौतम बुद्ध और कलम के बादशाह बाबा

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों के बारे में बताया गया। जिसे सभी ग्राम वासियों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना।

स्वार में व्यापार मंडल की मासिक बैठक हुई आहूत

शाह टाइम्स संवाददाता

स्वार/रामपुर। रविवार उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के मेन कार्यालय पर व्यापार मंडल की मासिक बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारी तथा व्यापारी गण मौजूद रहे शिव ओतार सक्सेना उर्फ मन्नू भैया ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जिलाधिकारी महोदय ने बैंकों को आदेश दिए हैं। कि व्यापारियों को मुद्रा लोन मुहैया कराए जाएं लेकिन कोई भी बैंक मुद्रा लोन की फाइल करने को तैयार नहीं है ।जिससे कि व्यापारी बैंकों के चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं कोई भी बैंक मुद्रा लोन की फाइल को करने को तैयार नहीं है इस संबंध में प्रदेश संगठन मंत्री ने कहा आने वाले समय में हम जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे और उनको अवगत कराएंगे कि व्यापारियों ने जो मुद्रा लोन की फाइल भर रखी है।उनको जल्द से जल्द मुद्रा लोन दिया जाए ताकि व्यापारी खुशहाल हो सके और अपना काम भली-भांति कर सके सरकार ने 5,00000 मुद्रा लोन के

रूप में व्यापारी को देने की जो स्कीम निकाली है। जिसमें कि जिलाधिकारी महोदय ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द मुद्रा लोन की फाइल पास की जाए लेकिन कोई भी बैंक मुद्रा लोन देने को तैयार नहीं है नगर व तहसील अध्यक्ष अनवर अली ने अपनी बात रखते हुए व्यापारियों को संबोधित किया उन्होंने कहा हमारे क्षेत्र में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है शिक्षा के नाम पर निजी स्कूल लूटमार कर रहे हैं। हर साल नए-नए कोर्स हर साल बच्चों की फीस में बढ़ोतरी हर साल एडमिशन फीस की बढ़ोतरी एक ही स्कूल में एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए एडमिशन फीस का बोझ हर साल हर दूसरे साल नए-नए ड्रेसे चेंज करना हमारे क्षेत्र की गरीब जनता बेसहारा जनता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित है क्योंकि निजी स्कूल अपनी मनमानी पर उतारू है शिक्षा के विषय में ना ही सरकार इस पर अंकुश लगा पा रही है। जिससे कि आम जनता बहुत ही परेशान है।व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनवर अली ने जिलाधिकारी सेआग्रह करते हुए की प्राइवेट स्कूलों पर बी एस ए द्वारा जांच कराई जाए ताकि वह फीस कम हो सके। हर साल कोर्सेज में बदलाव न किए जाएं ताकि एक दूसरे का पुराने कोर्स से भी पढ़ाई की जा सके। इस दौरान अध्यक्ष अनवर अली, उपाध्यक्ष अजेन्द्र राठौर,शिव ओतार सक्सेना और मन्नू भैया, मुशर्रफ अली, गुड्डू हाफिज जी, फुरकान अली, हाशिम शान, कदीर अंसारी, इस्लाम अंसारी, अजीज मियां, शकील सलमानी, अब्दुल रशीद, आसिफ, रफीक, राशिद, इब्ने हसन, नासिर, सरफराज, इरफान अली, सलमान अली, नबी हसन, इरफान अली, शाकिर अली आदि मौजूद रहे।

रामपुर की धरती से उठी मोहब्बत इंसाफ और बराबरी की आवाज

होली व ईद मिलन समारोह बना सौहार्द और क्रांति का प्रतीक

शाह टाइम्स ब्यूरो

रामपुर। जब देश के हर गली और चौराहे पर नफरत की फसल बोई जा रही है, जब इंसान को मजहब, जाति और पहचान के नाम पर बांटा जा रहा है, ऐसे दौर में ग्राम गजरौला की मिट्टी से मोहब्बत, इंसाफ और भाईचारे की एक ऐतिहासिक पुकार गूंजी। पूर्व विधायक संजय कपूर के स्नेहपूर्ण आमंत्रण पर आयोजित होली एवं ईद मिलन समारोह में कपूर के ग्राम गजरौला, तहसील बिलासपुर, स्थित फॉर्म हाउस पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। यह कार्यक्रम केवल पर्वों का उत्सव नहीं था। यह सामाजिक एकता, न्याय और समानता का उद्घोष था। पूर्व विधायक संजय कपूर ने अपने भावनात्मक भाषण में कहा कि जब देश में जहर घुला हो, वहां प्रेम और इंसाफ की बात करना ही सबसे बड़ा साहस है। यह मंच न केवल पर्वों का संगम है, बल्कि उस संघर्ष का भी प्रतीक है जो दलित, शोषित और वंचित समाज के हक और सम्मान के लिए लड़ा जा रहा है। मोहब्बत की यह यात्रा तब तक रुकेगी नहीं। जब तक इंसाफ हर दरवाजे तक न पहुंचे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष निक्कू पंडित ने कहा आज हम एकजुट होकर यह संदेश दे रहे हैं कि न हमें बांटा जा सकता है, न झुकाया जा सकता है। हमें अब सिर्फ जीना नहीं, बराबरी के साथ जीना है। और यही दलित इंसाफ यात्रा की आत्मा है। एआईसीसी सदस्य मुती उर रहमान ने अपने जोशीले अंदाज में कहा रामपुर में

जो अलविदा की नमाज के बाद जामा मस्जिद पर नमाजियो पर फूल बरसाए थे उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश में कांग्रे. सियों ने ईद के दिन नमाजियो पर फूल बरसाए यह महज एक मिलन नहीं, यह मोहब्बत का आंदोलन है। हम सभी धर्मों, जातियों को जोड़ने निकले हैं। यह नफरत को मात देने का समय है। और रामपुर इसकी शुरुआत कर चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमेश दुबे ने दो टूक शब्दों में कहा। हमारा संघर्ष न्याय के लिए है, सत्ता के खिलाफ नहीं ख्र लेकिन अगर सत्ता अन्याय के साथ खड़ी है, तो फिर हमारी लड़ाई स्पष्ट है।

हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं । इंसाफ लेकर ही दम लेंगे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनसमूह ने एक-दूसरे से गले मिलकर प्रेम, सौहार्द और सामाजिक न्याय की भावना को सजीव कर दिया। 'सभी वक्ताओं ने एक स्वर में यह घोषणा की कि यह सिर्फ एक मिलन समारोह नहीं था। यह उस नई सुबह की शुरुआत है, जो आने वाले समय में पूरे देश में मोहब्बत और बराबरी का उजाला फैलाएगी। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष बाकर अली खां उर्फ हारून खां डा. जफर खां जाहिद अली, मंजीत सिंह अटवाल, नाजिल भाई, शकील पहलवान, सरदार गुरजीत सिंह, शाकिर अली, पालिका नगर पंचायत केमरी अध्यक्ष अंसार अली, किसान नेता कमरूद्दीन भाई, मुईन पठान, साहिर अली खान, चितरंजन प्रसाद, बाबा प्रगट सिंह, जसमेल सिंह आदि उपस्थित रहे।

मंथन शिविर में रायुक्रांमो से जुड़े डेढ़ दर्जन लोग

शाह टाइम्स संवाददाता

मिलक/रामपुर। राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा के कार्यालय पर चल रहे मंथन शिविर में संगठन के विस्तार को ले कर चर्चा की गयी। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता क्रान्ति शेखर सारंग ने डेढ़ दर्जन लोगों को संगठन की सदस्यता ग्रहण करवाई। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि संगठन देश के 75 करोड़ युवाओं को एकजुट करने ने लिए निरंतर जुटा हुआ है। आज के समय में बड़ी संख्या में युवा पथ से भटके हुए हैं। किसी न किसी नशे को अपना कर वे अपना जीवन नष्ट करने में लगे हैं। ऐसे युवाओं को राह पर लाना और समाज में सम्मान दिलवाना संगठन के उद्देश्यों में से एक है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही दिल्ली से हरिद्वार तक मानव सदभावना यात्रा निकाली जाएगी। इसको ले कर भी संगठन के पदाधिकारी

लगातार विभिन्न जनपदों में भ्रमण कर जन संपर्क कर रहे हैं। रविवार को सदस्यता ग्रहण करने वालों में महेंद्रपाल सागर, शकील अंसारी, महेंद्र गंगवार, शकील अहमद, काली चरन, शाकिर, वेदपाल आर्य, विपिन गंगवार, भानु प्रताप, वाहिद अली, आशिक अली, राजू सिंह व अजीत सिंह आदि रहे। इनके साथ ही प्रदेश सचिव सलमान शाह, प्रदेश महा सचिव अरविंद पटेल, जिला अध्यक्ष लीलाधर सुमन, यशपाल सिंह, संतोष पटेल, अभिषेक आदि उपस्थित रहे।

रामनवमी पर कन्याओं का पूजन कर वितरण किया गया प्रसाद

(मो.फारूक अंसारी)

शाह टाइम्स संवाददाता

मसवासी/रामपुर। चौत्र नवरात्र के अंतिम दिन माता शेरावाली की पूजा अर्चना की गई और कन्याओं को पूजन के बाद जिमाया गया और प्रसाद वितरण किया गया। खीर हलवे का प्रसाद वितरण किया गया। चौत्र नवरात्र के अंतिम दिन मसवासी नगर समेत आसपास के गांव में मां शेरावाली की पूजा अर्चना की गई और कन्याओं को घर बुलाकर जिमाया गया पूजन के बाद खीर पुरी का वितरण किया गया। मसवासी नगर समेत चाउपुरा भूबरा बिजार खाता खोद कला मोतीपुरा सीतारामपुर रहमतगंज मंसूरपुर कुंदनपुर हसनपुर उत्तरी मिलक नोखरीद , आदि गांव में नवरात्रों के समापन पर पूजा अर्चना की गई और मन्नत मांगी गई कन्याओं को जीमाया गया और खीर पुरी का प्रसाद के रूप में वितरण किया गया।

किसानों के कृषि यंत्रों से जीएसटी हटाने की मांग

शाह टाइम्स संवाददाता

स्वार/रामपुर। इतवार भारती किसान यूनियन टिकैत के नेता सलामत जान ने कृषि यंत्रों को जीएसटी से छूट देने और एमएसपी कानून की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेता ने कहा दराती से लेकर कंबाइन हार्वेस्टर को जीएसटी मुक्त कराने के लिए किसानो को बड़े संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

हिन्दी दैनिक शाह टाइम्स समाचार पत्र में समाचार एवं विज्ञापनों के लिए सम्पर्क करें।
इमरान हुसैन
जिला प्रभारी रामपुर
कार्यालय निकट कचहरी के दूसरे गेट के सामने गली में
सम्पर्क सूत्र 9720093014
7906773314

कार्यालय ग्राम पंचायत लदौरा नारायनपुर वि. ख. चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत लदौरा नारायनपुर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी. डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती रामकली ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत लदौरा नारायनपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री अन्तराम सचिव)
ग्राम पंचायत लदौरा नारायनपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत बहपुरा विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बहपुरा विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती राजकुमारी ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत बहपुरा
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री अन्तराम सचिव)
ग्राम पंचायत बहपुरा
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत फैजनगर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत फैजनगर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती सुमन ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत फैजनगर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री अन्तराम सचिव)
ग्राम पंचायत फैजनगर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत बगी विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बगी विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती शमशुल निशा ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत बगी
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री अक्षय कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत बगी
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत लालूनगला विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत लालूनगला विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती रीना ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत लालूनगला
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री अक्षय कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत लालूनगला
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत नौगंवा विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नौगंवा विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती जुबैदा ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत नौगंवा
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री अक्षय कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत नौगंवा
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत दबका विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत दबका विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री अवरार हुसैन ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत दबका
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री अक्षय कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत दबका
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत चमरपुरा विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चमरपुरा विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री विनोद कुमार ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत चमरपुरा
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री अक्षय कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत चमरपुरा
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत डुडई विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 **दिनांकः**-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत डुडई विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती गुलफसा ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत डुडई
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री जसपाल सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत डुडई
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत शहजादनगर वि. खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 **दिनांकः**-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत शहजादनगर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती आयशा बेगम ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत शहजादनगर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री जसपाल सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत शहजादनगर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत अहमदनगर जागीर वि. ख. चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 **दिनांकः**-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अहमदनगर जागीर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती इसमत आरा ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत अहमदनगर जागीर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री जसपाल सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत अहमदनगर जागीर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मगरमऊ विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 **दिनांकः**-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मगरमऊ विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री यादराम ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत मगरमऊ
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री जसपाल सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत मगरमऊ
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत कोयली विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 **दिनांकः**-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कोयली विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती पूनम यादव ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत कोयली
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री अक्षय कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत कोयली
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत कोयला विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 **दिनांकः**-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कोयला विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री भूकन लाल ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत कोयला
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री अक्षय कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत कोयला
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत इण्ड्रा विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 **दिनांकः**-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत इण्ड्रा विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री अरशद हुसैन ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत इण्ड्रा
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री अक्षय कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत इण्ड्रा
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत बांसनगली विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 **दिनांकः**-05/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बांसनगली विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 06/04/2025 से 13/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 14/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री इस्लाम ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत बांसनगली
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री अक्षय कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत बांसनगली
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

विरोध की लहर: ट्रम्प और मस्क के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों अमेरिकी

50
राज्यों में हो रहे उग्र प्रदर्शन

1400
से अधिक रैलियां निकाली गईं

6
लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और अरबपति एलन मस्क के खिलाफ सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन हुए। इन विरोध प्रदर्शनों में लाखों लोग शामिल हुए। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में 1400 से ज्यादा रैलियां की गई हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।

प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में कटौती, अर्थव्यवस्था और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन को हैंड्स ऑफ नाम दिया गया है। हैंड्स ऑफ मतलब होता है- हमारे अधिकारों से दूर रहो। इस नारे का मकसद यह जताना है कि प्रदर्शनकारी नहीं चाहते कि उनके अधिकारों पर किसी का नियंत्रण हो। इस विरोध प्रदर्शन में 150 से अधिक संगठनों ने भाग लिया। इसमें सिविल राइट आर्गनाइजेशन, मजदूर संघ, एलजीबीटीक्यू+वालंटियर्स, पूर्व सैनिक और चुनावी कार्यकर्ता शामिल थे। इस विरोध प्रदर्शन में सिविल राइट आर्गनाइजेशन और मजदूर संघ जैसे 150 से अधिक संगठनों ने भाग लिया। एलन मस्क अमेरिका की ट्रम्प सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख हैं। उनका दावा है कि सरकारी तंत्र को छोटा करने से टैक्सपेयर्स के अरबों डालर बचेंगे। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर योजनाओं के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स इन योजनाओं का लाभ अवैध अप्रवासियों को दिलाना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 अप्रैल को दूसरे देशों पर लगाया जाने वाला रेसिप्रो. कल टैक्स का ऐलान किया था। इसमें भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत बहुत सख्त है। मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

रैली में लगे नारे 'वह पागल है, अमेरिका को मंदी की ओर धकेलने जा रहा'

वाशिंगटन। प्रदर्शनकारियों ने ट्रम्प के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वह पागल है और अमेरिका को मंदी की ओर धकेलने जा रहा है। वाशिंगटन के नेशनल माल पर निकाली गई रैली में बाइक टूर गाइड डायने कोलिफैथ ने कहा कि हमारे साथ 100 लोग हैं जो न्यू हैम्पशायर से बस और वैन से ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने आए हैं। हमें दुनियाभर में अपने सहयोगियों को खोना पड़ रहा है। यहां तबाही मची हुई है।

वो हमारी सरकार को खत्म कर रहा है। लास एंजिलिस में एक महिला ने झंडा लहराया। इस पर लिखा था कि मेरे गर्भाशय से बाहर निकल जाओ। महिला ने ट्रम्प की गर्भपात विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। कोलोराडो के डेनवर में लोगों पे कहा कि अमेरिका के लिए कोई राजा नहीं। लंदन में निक. ाली रैली में अमेरिकी-ब्रिटिश नागरिकता वाली लिज चैंबरलिन ने कहा कि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, वह हर किसी की समस्या है। यह आर्थिक पागलपन है। वह हमें वैश्विक मंदी की ओर धकेलने जा रहा है। बर्लिन में सेवानिवृत्त सुसैन फेस्ट ने कहा कि ट्रम्प ने सां. विधानिक संकट पैदा कर दिया है। वह आदमी पागल है।

मोदी की अपील पर श्रीलंका ने 14 भारतीय मछुआरों को किया रिहा

कोलंबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लंका ने 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। पीएम ने कल लंकाई राष्ट्रपति दिसानायके से मछुआरों की रिहाई पर बात की थी। मोदी तीन दिवसीय लंका दौरा पूरा कर भारत लौट आए हैं। इससे पहले उन्होंने आज बौद्ध तीर्थ अनुराधापुरा में माहो ओमनथाई रेल लाइन का उद्घाटन और सिग्नल सिस्टम का शिलान्यास किया।

इस दौरान पीएम मोदी ने लंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। लंका के माहो जिले से ओमनथाई जिले के बीच यह रेल लाइन नार्दर्न रेलवे लाइन का 128 किमी लंबा हिस्सा है। यह लंका के कुरुनेगला, अनुराधापुरा और ववुनिया जिलों से होकर गुजरता है। लंका सरकार ने इस रेलवे लाइन के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड इस खंड के डेवलपमेंट का काम कर रही है। इस परियोजना के लिए भारत ने 318 मिलियन डालर (2720 करोड़ रुपये) का लोन दिया है।

पीएम ने बौद्ध तीर्थ अनुराधापुरा में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, भारत लौटे

पीएम अनुराधापुरा के जय महाबोधि मंदिर भी पहुंचे थे। यहां उन्होंने मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं से भेंट की है। इस दौरान पीएम ने मंदिर के प्रमुख बौद्ध भिक्षु को उपहार भी दिया।

म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,471 हुई

यांगून। म्यांमार में आए 7.9 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,471 हो गई। यह जानकारी सरकारी दैनिक द मिरर ने रविवार को दी। रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप के कारण शनिवार तक 4,671 लोग घायल हुए हैं जबकि 214 लोग अभी तक लापता हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बचाव संगठनों ने भूकंप के बाद इमारतों में फंसे 653 लोगों को बचाया है और मलबे से 682 शव निकाले गए हैं।

एक नजर

इजरायल ने दो महिला ब्रिटिश सांसदों को देश में एंट्री नहीं दी

यरुशलम। इजरायली अधिकारियों ने दो ब्रिटिश सांसदों को देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि वे कथित तौर पर इजरायल विरा. धी बयानबाजी फैलाने की योजना बना रहे थे। टाइम्स ऑफ इजरायल अखबार ने इजरायली जनसंख्या और आव्रजन प्राधिकरण का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी। अखबार ने प्राधिकरण का हवाला देते हुए कहा कि सांसदों अब्तिसम मोहम्मद और युआन यांग को इजरायल में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि पता चला कि उनके दौरे का उद्देश्य इजरायली सुरक्षा बलों का दस्तावेजीकरण करना और इजरायल के खिलाफ घृणित बयानबाजी फैलाना था।

अमेरिका में भारतीय मूल के काउंटी जज केपी जार्ज गिरफ्तार

वाशिंगटन। फोर्ट बेंड काउंटी के जज केपी जार्ज को शुक्रवार को दो गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। उन पर वायर धोखाधड़ी और एक अभियान वित्त रिपोर्ट में गड़बड़ी करने के आरोप हैं, जिसके चलते धन शोधन के आरोप भी लगाए गए हैं। बता दें कि 2018 से काउंटी जज के रूप में कार्यरत भारतीय मूल के जार्ज को गिरफ्तार करने के बाद काउंटी जेल में ले जाया गया, जहां उन्होंने 20,000 डालर की जमानत पर रिहाई पाई। वहीं अब बात अगर जज पर लगे आरोपों की करें तो जार्ज पर आरोप है कि उन्होंने +30,000 से +150,000 के बीच धन शोधन किया। हालांकि अपने पक्ष में जार्ज ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। साथ ही यह भी कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।

अमेरिकी जहाज़ों की कब्रगाह बना लाल सागर

हूतियों ने कई युद्धपोतों को बनाया निशाना

वाशिंगटन। डोनाल्ड ट्रम्प के हूतियों को धमकी के बाद अमेरिका ने यमन पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। इसके बावजूद भी वह हूती की ताकत को खत्म नहीं कर पाए हैं, हूती लाल सागर में आज भी अपने हमले जारी रखे हुए हैं। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा, यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के उत्तरी हिस्से में अमे. रिकी विमानवाहक हैरी ट्रुमैन और उसके साथ के जहाजों पर हमला किया। अल मसीरा टीवी चैनल पर पब्लिश अपने भाषण में सारी ने कहा, पिछले कई घंटों के दौरान नौसेना के साथ मिलकर रॉकेट बलों और मानव रहित हवाई वाहनों ने क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए लाल सागर के उत्तरी भाग में अमे. रिकी वायु वाहक हैरी ट्रुमैन सहित कई युद्धपोतों के साथ युद्ध शुरू कर दिया है। हूतियों ने अमेरिकी नेवी के खिलाफ कोई एक हमला नहीं किया बल्कि उनकी लाल सागर में यह कार्रवाई कई घंटों तक जारी रही है। सारी ने बताया कि अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले कई घंटों तक जारी रहे और इससे विद्रोहियों के नियंत्रण वाले यमन के क्षेत्रों पर अमेरिकी हमलों को रोका जा सका है। 5 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया था कि उनकी स्ट्राइक में हूती के कई ऑपरेटिव एक मीटिंग करते हुए मारे गए, लेकिन हूती ने ट्रम्प के इस दावे को गलत बताया है और कहा है कि जहां हमला हुआ वह ईद के दौरान होने वाली आम लोगों की गैदरिंग थी। यमन के हूतियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इस वक्त हथियार की सप्लाई यमन तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल है, फिर भी यमन ने मिसाइलों को जखीरा बना रखा है। ट्रम्प की खुली चेतावनी के बाद यमन के लाल सागर में जारी हमले अमेरिकी की एक बड़ी बदनामी के तौर पर देखा जात रहा है।

बालू कलाकार सुदर्शन को मिला द फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड

लंदन। विश्व प्रसिद्ध बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक ने एक बार फिर भारत का मान बढ़ाया है। कला क्षेत्र में बेहतरीन योगदान पर सुदर्शन पटनायक को ब्रिटिश द फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह ब्रिटेन के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दक्षिणी इंग्लैंड के डोरसेट काउंटी के वेमाउथ में शनिवार से शुरू हुए सैंडवर्ल्ड 2025 अंतर्राष्ट्रीय बालू कला महोत्सव के दौरान पटनायक ने विश्व शांति के संदेश के साथ भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची बालू की मूर्ति बनाई। इसके बाद उनको फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। पटनायक ने कहा कि मैं वेमाउथ यूके में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बालू कला महोत्सव सैंडवर्ल्ड 2025 में फ्रेड डारिंगटन ब्रिटिश सैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कलाकार बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। वेमाउथ के मेयर जान ओरेल ने महोत्सव में पटनायक को पुरस्कार और पदक प्रदान किया। सैंडवर्ल्ड के निदेशक मार्क एंडरसन, डेविड हिक्स और लंदन में भारतीय उच्चायोग में संस्कृति मंत्री नाओरेम जे सिंह पुरस्कार समारोह में उपस्थित थे। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पुरी के रहने वाले पटनायक को पुरस्कार के लिए बधाई दी। माझी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित और प्रख्यात बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक को पहले ब्रिटिश सैंड मास्टर पुरस्कार द फ्रेड डारिंगटन से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई। उनके योगदान ने वैश्विक मंच पर हमारे देश और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को और बढ़ाया है। सुदर्शन पटनायक को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने दुनियाभर में 65 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय बालू मूर्तिकला चैंपियनशिप और महोत्सवों में भाग लिया है। उन्हें उनकी प्रतिष्ठित रचनाओं के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वेमाउथ में सैंडवर्ल्ड पर्यटक आकर्षण का केंद्र है। यहां दुनियाभर के कलाकार असाधारण बालू की मूर्तियां बनाते हैं।